न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–539/2017

1. बसन्तीलाल
2. पूरण
3. बंशी — पुत्रान भूरा
4. ओमकार
5. किशोर
6. रमेशचन्द पुत्र गोपी
7. राधेश्याम पुत्र गोपी
8. कन्हैयालाल उर्फ काना पुत्र भगवाना

समस्त जाति माली, निवासीगण ग्राम विराटनगर, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

–अपीलान्टस–

बनाम

1. सुरेश कुमार
2. कैलाश
3. ओमप्रकाश — पुत्रान शम्भूदयाल
4. रेवतीलाल
5. छगनलाल
6. जगदीश
7. गोगा देवी पत्नी शम्भूदयाल
8. चान्दमल पुत्र भूरा
9. सीताराम पुत्र भूरा

समस्त जाति माली, निवासीयान ग्राम विराटनगर, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

10. मु0 मोरी देवी बेवा भूरा
11. उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

– रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री शिव सिंह चौधरी अपीलार्थीगण की ओर से।

2– श्री एन0 के0 यादव रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगायत 7 की ओर से।

3– श्री भगवान सहाय शर्मा रेस्पोडेंट सख्या 8 व 10 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

:– **निर्णय** :– दिनांक :– 23–01–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी विराटनगर दिनांक 30.06.2017 बसिलसिला मिसल संख्या 37/2016 उनवानी सुरेश कुमार बनाम चान्दमल वगैरा प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बरान 2724 रकबा 0.48 है0, 2727 रकबा 0.09 है0, 2728 रकबा 0.50 है0, 2733 रकबा 0.25 है0, 2734 रकबा 0.32 है0 व 2735 रकबा 0.45 है0 कुल किता 6 रकबा 2.09 है0 जिसे विवादग्रस्त भूमि कहा गया है के संबंध में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 सुरेश कुमार ने अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एक वाद प्रतिवादीगण/अपीलन्ट संख्या 01 ता 08 व हाल रेस्पोडेंट संख्या 02 लगायत 12 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 अनुसार पक्षकारान विवादग्रस्त भूमि के सह काश्तकार है जिन्होंने मनबट कर उक्त कृषि भूमि का हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं किन्तु उक्त निर्णित भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण अविभाजित भूमि को बिना बंटवारा ही बेचान करने पर आमादा है तथा वादी के हिस्से में मजाहमत मदाखलत करते हैं। अतः विवादित भूमि का मीटस एडं बाउण्डस के आधार पर विभाजन कर खाता व लगान पृथक–पृथक किया जावे तथा प्रतिवादीगण को प्रतिबन्धित किया जावे कि वादी को विभाजन में मिली भूमि पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2017 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट्स द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन डिक्री एवं निर्णय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर दिनांक 30.06.2017 विधि, विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि वादग्रस्त के संबंध में कानूनी प्रावधानों के प्रतिकूल तहसीलदार विराटनगर से मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेश वाद प्रस्तुत होने की दिनांक 11.05.2016 की अगली तारीख 22.06.2016 को बिना जवाब दावा पेश हुए जल्दबाजी में वाद में प्राथमिक डिक्री कायम किये बिना ही कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर व मेन्डेटरी प्रावधानों की अवहेलना कर पारित किये है जो प्रारम्भ से अवैध होने के कारण निरस्तनीय है। पत्रावली दिनांक 17.03.2017 को "वकील उभय पक्ष उपस्थित। बइन्तजार कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 13.04.2017 को पेश हो। व दिनांक 13.04.2017 वकील उभय पक्ष उपस्थित पुनः अद्यतन रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो कर दिनांक 04.05.2017 को पेश हो' थी किन्तु दिनांक 04.05.2017 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई व पत्रावली पक्षकारों को नोटिस व सूचना के अभाव में दिनांक 30.06.2017 को निकल कर, राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट विराटनगर में पेश हुई। उसी दिन तहसीलदार विराटनगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भी पेश कर दी। जिन पर कोई आपत्ति पेश करने का अवसर दिये बिना ही जल्दबाजी से पक्षकारों की अनुपस्थिति में व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल प्रश्नाधीन निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय ने जारी कर दी जो कानूनी प्रावधानों के प्रतिकूल मनमाना कार्यवाही होने के कारण निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर द्वारा जारी पत्र दिनांक 27.09.2016 में तहसीलदार विराटनगर को निर्देशित किया गया था कि निर्णय दिनांक 26.06.2016 के संबंध में कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु मौके पर उपस्थित होकर आराजी मुतदाविया की पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित करते हुए आगामी तारीख पेशी से पूर्व पेश करें। उभय पक्षों की उपस्थिति में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करे। इस पत्र व निर्देश की अनुपालना में दिनांक 09.03.2017 को भू.अ.निरीक्षक/प.ह. विराटनगर द्वारा तथाकथित कुर्रेजात रिपोर्ट बनाई गई जिस पर काउन्टर हस्ताक्षर तहसीलदार विराटनगर ने दिनांक 30.06.2017 को किये गये है। अर्थात तहसीलदार विराटनगर विवादित भूमि के कुर्रेजात कायम करने हेतु मौके पर नहीं गये तथा पक्षकारान को सूचित भी नहीं किया। सम्पूर्ण कार्यवाही बिना पक्षकारों की सहमति व उनके हस्ताक्षर के अभाव में खानापूर्ति कर दिनांक 30.06.2017 को दौराने अभियान पेश की गई है जो कानून विरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नियम 18 से 21 की पालना किये बिना बनाये गये कुर्रेजात मेन्डेटरी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा विभाजन के वाद में तहसीलदार की हैसियत कमिश्नर की होती है जिसे पक्षकारों को मौकै पर जाने से पूर्व विधिवत नोटिस दे कर सूचित करना आवश्यक होता है तथा तहसीलदार स्वयं को मौके पर उपस्थित हो कर कुर्रेजात रिपोर्ट बनाने चाहिए। जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त 2017 आर.आर.टी. 689 पर माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर ने स्पष्ट व्यवस्था दी है जिसकी पालना के अभाव में बनाये गये कुर्रेजात रिपोर्ट कानून विरूद्ध होने से प्रश्नाधीन डिक्री निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार विराटनगर ने अपनी तथाकथित कुर्रेजात रिपोर्ट दौराने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2017 कैम्प कोर्ट विराटनगर मे पेश की जिस पर पक्षकारों को डिक्री पारित करने से पूर्व आपत्ति पेश करने का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 30.06.2017 को प्रश्नाधीन डिक्री पारित कर दी गई जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को अपने हिस्से की भूमि पर आने जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं दिया। रास्ते की भूमि "कोमन" रखी जाकर विधिवत विभाजन न कर मनमानी डिक्री व निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जयपुर दिनांक 30.06.2017 खारिज की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जारी कर विधि सम्मत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नियम 18 से 21 की पालना की जाकर तहसीलदार स्वंय मौके पर जाकर व

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पक्षकारों को नोटिस व सुनवाई का अधिकार प्रदान कर विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने के निर्देश प्रदान करें।

3– अपील दर्ज रजिस्टर की गई।रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई। रेस्पोडेन्टस सख्या 08 एवं 10 द्वारा दिनांक 07–11–2017 को अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 व सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर क्रोस ऑब्जेक्शन प्रस्तुत किये गये।रेस्पोडेन्टस सख्या 01 लगायत 07 द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। क्रोस ऑब्जेक्टर द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 प्रस्तुत कर जमाबंदी संवत 2053 से 2056 खाता सख्या 778 ग्राम विराटनगर को रिकार्ड पर लिये जाने का अनुरोध किया गया।उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी को रिकार्ड पर लिया गया।उभयपक्ष को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 एवं अपील पर सुना गया।

4–अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा कथन किया गया कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री नही बनाई गई है तथा पक्षकारान को सुनवाई का अवसवर प्रदान नहीं किया गया है। पत्रावली को दिनांक 04–05–2017 से तथा उक्त दिनांक की कोई आदेशिका लिखे बिना सीधे ही लोक अदालत कैम्प में दिनांक 30–06–2017 को रखा जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स को कोई सूचना नहीं दी गई है तथा न ही कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। वादी द्वारा मुख्य सडक पर भूमि विभाजन में ले ली गई है तथा दो खसरा नम्बर 2731 व 2732 की भूमि को विभाजन में शामिल नही किया गया है। कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार नहीं की गई है इसलिये अपील स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2017 (1) आरआरटी 689, 1995 आरआरडी 475–78, 1986 आरआरडी 583 प्रस्तुत किये गये।

5–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 8 एवं 10 द्वारा अपने क्रोस ऑब्जेक्शन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि कुल किता 8 में से दो खसरा नम्बर 2731 व 2732 को विभाजन में शामिल नहीं किया गया है। तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये है तथा कुर्रेजात रिपोर्ट मौके के विपरित तैयार की गई है।विचाराधीन अपील की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 28–10–2017 को हुई है तथा जानकारी से अन्दर मियाद क्रोस ऑब्जेक्शन प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णयव डिक्री निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण पुनः विभाजन हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित किया जावे।

6–अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस सख्या 1 लगायत 7 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (5) के अनुसार खातेदारों को ही पक्षकारान विभाजन के वाद में बनाया जा सकता है। खसरा नम्बर 2731 व 2732का खाता ही अलग

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

है इसलिये उनको विभाजन में शामिल नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी की गई आदेशिका दिनांक 22–06–2016 ही प्राथमिक डिक्री की श्रेणी में आती है।प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने पर पुनः रिपोर्ट मंगाई गई है तथा दिनांक 30–06–2017 को उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित रहे है तथा उन्होंने हस्ताक्षर भी किये है। कुर्रेजात रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार द्वारा बनाई गई है एवं विस्त ृत रिपोर्ट तैयार की गई है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा कथन किया गया कि रेस्पो0 सख्या 8 व 10 को तामील पूर्व मे हो चुकी थी तथा उनके द्वारा तामील के 30 दिवस की अवधि में क्रोस ऑक्ब्जेक्शन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1983एसएसी 353,2005 आरबीजे 235, 211 आरआरडी 581, 2017 आरआरटी 105, 2013 आरआरटी 58, 2014 सीसीसी 100 व 372, 2000 आरबीजे 340, 2013 डीएनजे 86, 2009 (1) डीएनजे 139 प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 22 सीपीसी एवं अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

7– अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उस में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया है।उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।रेस्पो0 सख्या 8 व 10 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत 2053 से 2056 ग्राम विराटनगर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।उक्त प्रतिलिपि अधिकार अभिलेख के रूप में सरकारी दस्तावेज है जिसे न्याय हित में रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित मानते हुए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है। रेस्पो0 सख्या 08 द्वारा प्रस्तुत क्रोस ऑब्जेक्शन प्रार्थना–पत्र में ली गई आपत्तियॉ एवं अपील में ली गई आपत्तियॉ समान होने के कारण उसका निर्णय अपील के साथ ही किया जा रहा है। वादी रेस्पो0 सख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय केसमक्ष दिनांक 07–09–2016 को दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है उक्त दावे में खाता सख्या–728 ग्राम विराटनगर के कुल किता 6 की कुल भूमि रकबा 2.09 हैक्टेयर का विभाजन चाहा गया था, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत 2069 से 2072 ग्राम विराट नगर की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता सख्या 728 में कुल 6 खसरा नम्बर स्थित है तथा उनका कुल रकबा 2.09 हैक्टेयर है। अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 8 द्वारा की गई आपत्ति कि खसरा नम्बर 2731 एवम 2732 को विभाजन में शामिल नहीं किया गया है, चलने योग्य नही है क्योंकि उक्त खसरा नम्बर खाता सख्या 728 के भाग नही है। रेस्पो0 सख्या 08 द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 41नियम 27 के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2053–2056 की है जिसमें खसरा नम्बर 2731 एवम 2732 खाता सख्या 723 में स्थित है परन्तु उक्त रिकार्ड दावा दायरी से पूर्व का है तथा दावा दायरी के समय खसरा नम्बर 2731 एवम 2732 वादग्रस्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

के भाग नही रहे है। अतः अपीलान्टस एवम रेस्पोडेन्टस सख्या 8 व 10 के द्वारा ली गई आपत्ति खारिज की जाती है। अपीलान्ट् एवम रेस्पो0 सख्या 08 व 10 द्वारा दूसरी आपत्ति यह ली गई है कि तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में नहीं बनाये गये है तथा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। इस पर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम दिनांक 4–8–2016 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिस पर दिनांक 11–8–2016 को प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। उक्त आपत्ति पर सुनवाई की जाकर दिनांक 07–09–2016 को पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है। दिनांक30–6–2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आप के द्वार 2017 केम्प कोर्ट विराट नगर में पेश हुई है तथा तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भी उसी दिवस को प्रस्तुत की गई है।उक्त दिवस को उभयपक्ष के अधिवक्तागण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है तहसीलदार द्वारा जो कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई है उसमें तहसीलदार द्वारा उल्लेख किया गया है कि " उक्त दावा मु0 नं0 में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने के लिए बहमराह भू.अ0 नि0 विराट नगर एवं पटवार हल्का विराट नगर के खसरा नम्बर 2724, 2727, 2728, 2733, 2734 व 2735 ग्राम विराट नगर के मोके पर पहुंचा। मौके पर पहुंच कर उक्त प्रकरण से संबंधित सह खातेदारान को सूचना करवाकर मौके पर बुलाकर उनकी उपास्थिति में मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं मौके अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है। मौके पर उपस्थित सह खातेदारान के बताये अनुसार मौके पर आवासीय निर्माण जिस खसरा नम्बर में जिस खातेदारान ने किया है वह खसरा नम्बर उपस्थित उसी खातेदारान के पक्ष में बंटवारा प्रस्तावित नक्शा मैंने स्वयं ने तैयार किया है कुर्रेजात रिपोर्ट उपस्थितों को पढ कर सुनाई गई। अंगूठा/हस्ताक्षर करवाया। जिसमें प्रतिवादीगणों ने हस्ताक्षर करने से मना किया। पालना रिपोर्ट कुर्रेजात संलग्न कर श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।" तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट प्रथम कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति किये जाने के पश्चात पुनः तैयार कर प्रेषित की गई है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि द्वितीय कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारों की मौजूदगी में तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार करवाई गई है।उक्त रिपोर्ट में कतिपय पक्षकारान के हस्ताक्षर भी मौजूद है। रिपोर्ट में खातेदारों के निर्मित आवास अनुसार ही तथा नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा की गई यह आपत्ति कि कैम्प में पत्रावली रखे जाने बाबत उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई तथा कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार स्वयं द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार नहीं की गई, अनुचित है।दिनांक 03–06–2017 को उभयपक्ष के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है तथा उनके द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस को सुना जाकर तथा उनके द्वारा बहस में उठाई गई आपत्तियॉ का विस्तार पूर्वक विवेचन किया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है।अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

यह निवदेन किया गया है कि मौके पर बंटवारा करते समय आराजी मुतनाजा की पैमाईश की जावे जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील एवं रेस्पो0 सख्या 8 व 10 द्वारा प्रस्तुत क्रोस ऑब्जेक्शन में कोई विधिक बल निहित नही है तथा प्रस्तुत अपील मात्र प्रकरण को लम्बित रखे जाने के उद्वेश्य से पेश किया जाना प्रतीत होता है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत अपील पर चस्पा नही होते है क्योंकि प्रकरण में उन्हें अधिवक्ता के माध्यम से सुना गया है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है।अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में कोई सारभूत विधिक त्रुटि कारित किया जाना नही पाया जाता है तथा उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नही है। अपील अपीलान्टस व क्रोस ऑब्जेक्शन खारिज किये जाने योग्य हैं।

8—अतः अपील एवं क्रोस ऑब्जेक्शन अस्वीकार कर खारिज किये जाते है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03—06—2017 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9— निर्णय आज दिनांक 23—01—2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर